

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या: 42/2024

अपीलार्थी

हीराराम पुत्र भावाजी लोहार, जाति- लोहार, निवासी- मण्डार, तह. रेवदर, जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार, मण्डार, तह. रेवदर, जिला- सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अपीलार्थी की ओर से
2. परोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

—: निर्णय :—

दिनांक 27 दिसम्बर, 2024

- (1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। अपीलार्थी की ओर से यह अपील उप तहसीलदार, मण्डार द्वारा प्रकरण संख्या 25/2024 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 26.7.2024 से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
- (2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से परोकार सरकार उपस्थित हुये। 0
- (3) प्रकरण में दिनांक 17.12.2024 को बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मेड़तिया ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध ग्राम मण्डार के खसरा संख्या 954 रकबा 480 वर्गफीट किस्म गोचर भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण करने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण संस्थित किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन उक्त प्रकरण में अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलार्थी को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित कर मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने का आदेश दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने स्वविवेक का प्रयोग नहीं कर मनमाने रूप से न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर केवल मात्र ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, मण्डार की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध उक्त प्रकरण गलत संस्थित किया गया था, जिसके नोटिस प्राप्त होने पर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब मय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था, जिस पर कोई गौर किए बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलार्थी को बेदखल करने के आदेश दिये हैं, जो सर्वथा गलत व विधि विरुद्ध है। यह कि वादग्रस्त भूमि पुलिस थाना मण्डार के सामने की तरफ स्थित है, जो ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में है। वादग्रस्त भूमि व उसके आस पास भूमि पर बहुत से मकान व दुकानें बनी हुई हैं। उक्त भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्व की भूमि होने से ग्राम पंचायत ने उक्त भूमि को विक्रय कर पट्टा जारी किया था। अपीलार्थी

.....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)



अपने पट्टे स्वामित्व तथा कब्जे शुदा भूमि पर काबिज होकर व्यवसायिक उपयोग कर रहा है। प्रश्नगत भूमि का पट्टा संख्या 40 दिनांक 08.10.2014 को ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा सुभाषचन्द्र पुत्र भगवानदास जी पंचाल, निवासी- सोरडा के हक में जारी किया था एवं पट्टाधारी ने इस पट्टेशुदा भूमि पर पंचायत से निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर दुकान का निर्माण करवाया था। अपीलार्थी ने पट्टाधारी से उक्त पट्टे की भूमि को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। इस प्रकार से अपीलार्थी अपने स्वामित्व की भूमि पर बतौर मालिक काबिज है तथा दुकान का उपयोग व उपभोग कर अपने तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता है। अपीलार्थी ने अपनी दुकान में बिजली का कनेक्शन भी लिया हुआ है एवं इसका नाप व चतुर्दशी अनुसार उत्तर में भूखण्ड संख्या 57, दक्षिण में सिरौही मण्डार हाईवे रोड, पूर्व दिशा में जैसाराम पुत्र केवाजी के स्वामित्व के कब्जेशुदा भूमि व पश्चिम दिशा में भूखण्ड संख्या 40 की शेष सम्पत्ति स्थित है एवं नाप उत्तर 12.5 फीट, दक्षिण 12.5 फीट, पूर्व में 40 फीट व पश्चिम 40 फीट कुल क्षेत्रफल 500 वर्गफीट है। अपीलार्थी उक्त भूमि का अतिक्रमी नहीं है व न ही अपीलार्थी ने अतिक्रमण किया है एवं न ही उक्त भूमि गोचर भूमि है। उक्त भूमि आबादी भूमि होने से ही ग्राम पंचायत ने उक्त भूमि को विक्रय कर पट्टा जारी किया है। प्रार्थी ने पट्टाधारी से उक्त भूमि को खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है, जिससे प्रार्थी उक्त भूमि पर अतिक्रमी नहीं है तथा न ही धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही के तहत अपीलार्थी को बेदखल किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तथ्यों के आधार पर उक्त कार्यवाही अमल में लाई है एवं विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान 1995(2)RBJ 460 Supreme court State of Raj. Vs Smt. Padmavati and other, RRT 2003(2) 1303 Jairam vs Mahesh Kumar, 2011(2) RRT 1413, RRT 2006(1) 661, RBJ(19) 2012 Page 312, RBJ(11) 2004 Page 83, RLW 2006(1) 158, RRT 2002(2) 1300, RBJ 2000(7) 25, RBJ 2001(8) 475, RBJ 1996(3) 454, 1996(3) RBJ 360, RBJ 1996(3) 456, RBJ 2016(23) 456 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर ने समय समय पर निर्णय पारित कर यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "section 91 when provision of the section cannot be invoked-section 91 of the act prescribe a summary procedure for eviction of a person who is found to be in authorised occupation of government land. the said provision cannot be invoked in a case where the person in accuaption rasies bonfide dispute about his right to remain in occupation over the land." यह कि उपरोक्त प्रकरण में भी अपीलार्थी अपने स्वामित्व की भूमि पर विधि अनुसार काबिज है, जिससे धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही कानूनन विधि सम्मत नहीं है। यह कि उक्त भूमि का आवासीय व व्यवसायिक उपयोग पिछले कई वर्षों से हो रहा है एवं प्रत्यर्थी व ग्राम विकास अधिकारी की जानकारी में उक्त भूमि पर दुकानें पुराने समय से बनी हुई है तथा व्यवसाय हो रहा है, इतने लम्बे समय तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा गलत व विधि विरुद्ध तरीके से उक्त कार्यवाही संस्थित कर निर्णय पारित किया गया है, जो सर्वथा गलत व विधि विरुद्ध है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलार्थी निर्णय को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान परोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा संवत् 2080 में अपीलार्थी के विरुद्ध उक्त विवादित भूमि जो गोचर भूमि है पर अतिक्रमण करने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, मण्डार में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, मण्डार में प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को राजस्थान भू

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरौही (राज.)



राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर विधिवत कार्यवाही करते हुए व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए बाद जांच अपीलार्थी का वादग्रस्त गोचर भूमि पर अतिक्रमण पाया जाने से विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा संवत् 2080 में अपीलार्थी के विरुद्ध ग्राम मण्डार के खसरा संख्या 954 कुल रकबा 2.00 बीघा भूमि किस्म गोचर भूमि में से रकबा 480 वर्गफीट भूमि पर दुकान निर्मित करने की रिपोर्ट उप तहसीलदार, मण्डार को प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, मण्डार में अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में नियत सुनवाई तिथि पर उपस्थित होकर दस्तावेजों की छायां प्रतियां प्रस्तुत की गई। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राजस्व रेकॉर्ड अनुसार ग्राम मण्डार के खसरा संख्या 954 कुल रकबा 2.00 बीघा किस्म गोचर भूमि है एवं अपीलार्थी द्वारा ग्राम मण्डार के उक्त खसरा संख्या 954 रकबा 480 वर्गफीट किस्म गोचर भूमि पर दुकान निर्मित कर अतिक्रमण किया गया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील सारहीन होने व साबित नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थी सारहीन होने एवं भलीभांति साबित नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सर-ए-ईजलास सुनाया गया।



(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही